

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 06/2022
3. उनवान : ग्राम पंचायत काचरोदा पंचायत समिति दूदू तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये सरपंच।

–निगरानीकार

बनाम

सुमन कुमारी कुमावत पत्नी गणेश कुमार कुमावत निवासी  
ढाणी नागान, श्यामनगर, ग्राम काचरोदा तहसील फुलेरा  
जिला जयपुर।

–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 30/04/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना निगरानीकार की ओर से।  
ब) अधिवक्ता श्री सी.पी. भार्गव गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी ने पट्टा चाहने बाबत आवेदन वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये निजी खातेदारी भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 07/11/2019 को पट्टा संख्या 33 क्षेत्रफल 36.38 वर्गगज जारी करवा लिया। कौरम बैठक में पटवार हल्का ने भी पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बने हुये मकानात आवेदनकर्ताओं के आबादी भूमि में होना बताया। निजी खातेदारी की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा निजी खातेदारी भूमि में होना पाया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत/निगरानीकार ने कौरम के व विपक्षी के विश्वास पर चूंकि मौके पर काफी आबादी बसी हुई हैं और उक्त जारी पट्टा को आबादी में मानते हुये चूंकि यह निजी खातेदारी की भूमि की सीमा से लगती हुई होने के कारण यह ध्यान नहीं रहा और उक्त पट्टा विपक्षी को जारी कर दिया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवेदन व शपथपत्र पर विश्वास कर कौरम द्वारा भी इन तथ्यों पर विश्वास कर मौके आदि का अवलोकन कर चूंकि आबादी और निजी खातेदारी भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा निजी खातेदारी भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक पसदू/जांच/1021/1526 दिनांक 29/7/2021 के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टों को

निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अन्त में निवेदन किया है कि संकल्प संख्या 13 दिनांक 20/09/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. भार्गव उपस्थित हुए।

गैर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया है कि जब पट्टा बनाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा पंचायत के समक्ष आवेदन किया जाता है तो उक्त पट्टे की पत्रावली के आधार पर पंचायत अपनी कोरम की दिन प्रतिदिन बैठक आयोजित करती है तथा जिस भूमि का पट्टा चाहने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन किया जाता है उसका निरीक्षण कर सही स्थिति का पता लगाकर अपनी मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु कोरम अपने दो या दो से अधिक वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट बनाने का आदेश देती है। तब नियुक्त किये गये वार्ड पंच कोरम की आगामी बैठक में अपनी मौका रिपोर्ट पेश करते हैं। जिस पर कोरम के प्रत्येक सदस्य उस पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं कि आवेदक के आवेदन को स्वीकार कर पट्टा जारी किया जाये या आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे। उक्त पट्टे के आवेदन हेतु ग्राम पंचायत की कोरम ने दिनांक 22.07.2019 को पट्टा हेतु आवेदित आवेदन पर विचार कर मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया जो मौके पर जाकर उक्त पट्टाकृत जमीन का निरीक्षण किया और अगामी कोरम की बैठक पर अपनी रिपोर्ट कोरम के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर कोरम द्वारा विचार विमर्श कर उक्त मौका रिपोर्ट को सही माना और गैर निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। निगरानीकार ग्राम पंचायत काचरोदा को समस्त तथ्यों की भलीभांति जानकारी थी लेकिन वह क्लीन हैण्ड से न्यायालय को मुगालते में रखते हुए उक्त पट्टा निरस्त की कार्यवाही करवाना चाहती है। कोरम ने ना केवल अपनी तीन वार्ड पंचों के द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर पट्टा जारी ही नहीं किया अपितु पट्टा जारी करने से पहले उक्त भूमि का आवेदक गैर निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी करने से पहले 01 माह का आपत्ति नोटिस भी कोरम द्वारा जारी किया गया था। निगरानीकार ग्राम पंचायत काचरोदा के अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील सुनवाई की अपीलीय अधिकारिता धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति की स्थायी समिति को प्राप्त है। दिनांक: 11.11.2019 उक्त पट्टा उपपंजीयन कार्यालय सांभरलेक से पंजीबद्ध होने की तिथि से लेकर निगरानी दिनांक 21.06.2022 को निगरानी पेश करने कुल 31 महीने अर्थात् 02 वर्ष 07 माह की देरी से प्रस्तुत की है जबकि निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि मात्र 90 दिन की है तथा इसके अलावा निगरानीकार ने उक्त निगरानी को अवधिरुद्ध प्रस्तुत करने का स्पष्ट कारण भी न्यायालय को प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई डिले कन्डोन की अनुमति के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत याचिका प्रस्तुत की।

अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि निगरानीकार ग्राम पंचायत काचरोदा को अपने स्वयं द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति की स्थायी समिति को सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त है तो न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी पेश करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। यदि न्यायालय द्वारा पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 को खारिज किया जाता है तो गैर निगरानीकार को इससे काफी आर्थिक क्षति के साथ-साथ सामाजिक क्षति का भी सामना करना पड़ेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

अन्त में निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निजी खातेदारी भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 07.11.2019 को पट्टा संख्या 33 क्षेत्रफल 36.38 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत काचरोदा से जारी करवा लिया। निजी खातेदारी की भूमि जो गै०मु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा निजी खातेदारी भूमि में होना पाया। आबादी और निजी खातेदारी भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट वगैरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा निजी खातेदारी भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 29/7/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत् ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 13 दिनांक 20/09/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की कौरम ने दिनांक 22.07.2019 को आवेदन पर विचार कर, मौका निरीक्षण कर अगामी कोरम की बैठक पर अपनी रिपोर्ट कोरम के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर कोरम द्वारा विचार विमर्श कर उक्त मौका रिपोर्ट को सही माना और गैर निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। पट्टा जारी करने से पहले 01 माह का आपत्ति नोटिस भी कोरम द्वारा जारी किया गया था। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 142 से 148 की नियमानुसार पालना उपरान्त पट्टा जारी किया गया है। दिनांक: 11.11.2019 उक्त पट्टा उपपंजीयन कार्यालय सांभरलेक से पंजीबद्ध होने की तिथि से लेकर निगरानी दिनांक 21.06.2022 को निगरानी पेश करने कुल 31 महीने की देरी से प्रस्तुत की है, जिसका न्यायोचित कारण भी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उक्त पट्टा स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। जिसकी जानकारी निगरानीकार ग्राम पंचायत को प्रारम्भ से रही है। निगरानीकार ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति की स्थायी समिति को सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज योग्य है।




पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता निगरानीकार का कथन है कि निगरानीधीन पट्टा निजी खातेदारी भूमि में है जिसका आबादी भूमि में पट्टा जारी कर दिया गया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू की रिपोर्ट दिनांक 29/07/2021 के अनुसार निगरानीधीन पट्टा सीमाज्ञान अनुसार कृषि भूमि में जारी होना पाया गया। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानी विलम्ब से पेश की गई है तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। उक्त के संबंध में पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार निगरानी प्रस्तुतीकरण के संबंध में समय सीमा अथवा विलम्ब का अंकन नहीं होने से परीसीमा से बाधित नहीं है तथा उक्त अधिनियम की धारा 97 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अधिवक्ता गैर निगरानीकार तथ्य साबित नहीं होता।

निगरानीधीन पट्टे के संदर्भ में तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 में निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 निजी खातेदारी की कृषि भूमि में जारी होना पाया गया जबकि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में की पट्टा जारी कर सकती है। अतः ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 का निजी खातेदारी (कृषि) भूमि में आवासीय पट्टा जारी होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 13 दिनांक 20/09/2019 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 07.11.2019 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

  
(कुन्तल विश्नोई)  
अति. जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)  
जयपुर